



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



F.No. -: 9-HRB040/2017-CHA

दिनांक: 16.04. 2018

18

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ - 160001

विषय:- Diversion of 0.94 ha of forest land in favour of Executive Engineer, HUDA Division, Karnal for construction of 45 M wide road behind Sector 8 Part-II at Sector 9, urban Estate, under Forest Division and District Karnal, Haryana.

संदर्भ :- 1 वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ. सी) के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन 6962/4051 दिनांक 22.02.17 एवं प्रशा-डी-तीन 6962/126 दिनांक 06.04.2018
2. ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/HR/Road/21601/2016

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.94** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।
 - i. प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
 - ii. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
 - iii. प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट, <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।
 - iv. User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of State-I clearance.
 - v. Transfer and mutation of equivalent non-forest land in favour of forest department.
3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।
 - i. भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
 - ii. कम से कम वृक्ष काटे जायेंगे। काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 110 से अधिक नहीं होगी।

1. अपर वन मंडलिनदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्डा पर्यावरण भवन, गोर गाँव, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सेक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Karnal Haryana.
4. The Executive Engineer, HUDA Division, Karnal

प्रतिनिधि -

अध्यक्ष वन संरक्षक (केंद्रीय)

(सी.डी.सि.सि.)

भवदीय

जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

4. उपरोक्त पैर-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, अधिनियम वन संरक्षण, 1980 की धारा-2 के अधीन अधिनियम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय सरकार की अधिनियम अनुमति लिये
- XVIII. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं नियमित रूप से भेजेगी।
- XVII. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को समय पर लगाई जा सकती है।
- XVI. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर ककट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।
- XV. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- XIV. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- XIII. स्थानांतरित वन भूमि की सीमाओं और तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेट के खम्बों द्वारा और प्रणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- XII. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति तापिक साथ लगाते वन क्षेत्र की किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- XI. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि का कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेंगी, दूर पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।
- X. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बांछित भूमि संरक्षण प्रमाण उपयोग किसे जायेगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भूमिक शिथिर नहीं लगाया जाएगा।
- IX. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भूमिक शिथिर नहीं लगाया जाएगा।
- VIII. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की से आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।
- VII. किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
- VI. स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किया जाएगा।
- VI. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आर्द्धआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किसे जायेगी।
- V. साथ लगाते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और साथ लगाते हुए वन एजेंसी बाध्य होगी।
- IV. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा।
- III. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा।